न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 153/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश बंसल, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री रियाज मोहम्मद पुत्र श्री कमरुददीन निवासी बडा बाजार सांभर।
2. श्री नदीम खान मालिक वाहन ट्रक संख्या आरजे–14 –जीए–5339 निवासी सांभर तहसील सांभर।
3. श्री कानाराम जाट, उचित मूल्य दुकानदार, हिरनोदा।
4. व्यवस्थापक, क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सांभर।

4. निर्णय दिनांक : 22.12.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, सांभरलेक श्री राजेश बंसल ने अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 06.07.2016 को थानाधिकारी फुलेरा की सूचना पर मौके पर पंहुच कर पुलिस द्वारा फुलेरा में कालाबाजारी के सन्देह में रोके गये गेहूं से भरे ट्रक की जांच की। ट्रक संख्या आरजे–14–जीए–5339 की जांच के दौरान 270 कट्टे गेहूं (प्रति कट्टा वजन 50 किग्रा. औसत) मिले। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि दिनांक 06.07.2016 को एफसीआई डिपो किशनगढ से बिल्टी संख्या 3233 श्री विनायक रोड लाइन्स मदनगन्ज किशनगढ के माध्यम से श्री कानाराम जी हिरनोदा को पंहुचाने हेतु 320 कट्टे मय बारदाना 162.27.200 क्विंटल है। उक्त 320 कट्टे में से 50 कट्टे गेंहू ट्रक मालिक के कहने पर रास्ते में नरैना में एक पिकअप वाले को दे दिया। इस प्रकार मौके पर बिल्टी के अनुसार गेहूं की डिलीवरी न करके रास्ते में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले रियायती दर के गेहूं को निजी लाभार्थ खुर्द–बुर्द कर दिया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 19.07.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 4,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 16.08.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 16.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया कि न्यायिक मजिस्ट्रैट(एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर जिला के यहां अन्तरित होने पर मान्य न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को धारा 3/7 आवंश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध से बरी कर दिया। इसलिये नजीरें पेश कर जब्त वस्तुओं को वापस लौटाने एवं ट्रक का जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा निरस्त कर वाहन अप्रार्थी 2 के पक्ष में छोडे जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रैट(एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर जिला के निर्णय दिनांक 28.02.2020 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने व जब्तशुदा रजिस्टर और बिल बुक नियमानुसार हकदार व्यक्ति को लौटाने का आदेश दिया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 06.07.2016 को जब्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को बिल्टी अनुसार उसके गंतव्य तक ना पंहुचाके उसमें से कुछ सामान बीच में ही खुर्द–बुर्द करना कालाबाजारी के उद्देश्य से निजी स्वार्थ के लिये किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 ने 50 कट्टे गेहूं को गंतव्य तक पहुंचने से पहले किसी ओर को देने का कथन किया है। न्यायिक मजिस्ट्रैट(एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर जिला द्वारा अपने निर्णय में संदेह के लाभ में केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बरी किया है, जब्त सामान को लौटाने संबंधी कोई उल्लेख निर्णय में नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्णय उक्त जब्तशुदा गेहूं पर लागू नहीं होता है। इसलिये वस्तुओं के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा स्वतंत्र निर्णय पारित किया जाना चाहिये था अथवा जब्त सामग्री के सम्बन्ध में निर्णय में उल्लेख करना चाहिये था। ऐसी स्थिति जब्तशुदा 270 कट्टे गेहूं (प्रति कट्टा वजन 50 किग्रा. औसत) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अंतिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर